"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2007—फाल्गुन 1, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

अधिसूचना

फा. क्रमांक 1614/डी-263/21-ब/छ. ग./07.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5269/डी-1411/21-ब/छ. ग./05 दिनांक 21-06-05 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री आर. एस. साय, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किये गये मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, जिसका कि मुख्यालय रायपुर होगा :-

क्रमांक (1)	राजस्व जिले का नाम (2)
1.	रायपुर
2.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव
4.	बिलासपुर
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)
6.	बस्तर (जगदलपुर)

(1)	(2)
7.	कांकेर
8.	दंतेवाड़ा
9.	कबीरधाम (कवर्धा)
10.	महासमुंद
11.	कोरबा
12.	कोरिया
13.	धमतरी
14.	जांजगीर-चांपा
15.	रायगढ़
16.	जशपुर

Raipur, the 15th February 2007

NOTIFICATION

F. No. 1614/D-263/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention and Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department notification No. 5269/D-1411/XXI-B/C. G./05 dated 21-06-05 the State Government hereby appoints Shri R. S. Sai, IIIrd Additional District & Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the Head Quarters at Raipur for the area comprising of the revenue Districts specified below to try the cases in regards to offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of the Investigation :-

No. (1)	Name of the Revenue District (2)
1.	Raipur
2.	Durg
3.	Rajnandgaon
4.	Bilaspur
5.	Ambikapur (Sarguja)
6.	Bastar (Jagdalpur)
7.	Kanker
8.	Dantewada
9.	Kabeerdham (Kawardha)
10.	Mahasamund
11.	Korba
12.	Koria
13.	Dhamtari
14.	Janjgir-Champa
15.	Raigarh
16.	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.